



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1130) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 24/2019 - राज्य कर (दर)

एस० ओ० 370 दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य -कर विभाग की अधिसूचना संख्या 7/2019 -राज्य-कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या -505, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है।”

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)24)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 370, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)24)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2019

Notification No. 24/2019- State Tax (Rate)

S.O. 370, Dated 30th September 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 07/2019-State Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 505, dated the 29th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely: -

“Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7) 24)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1130-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>